

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/822 /

जबलपुर, दिनांक 25/02/2020

II-14-24/2020

मोनिका शर्मा, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 03.02.2020 से 31.07.2020 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/823 /

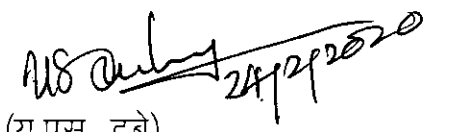
जबलपुर, दिनांक 25/02/2020

II-14-24/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 434/स्था. ग्वालियर, दिनांक 29.01.2020 के संदर्भ में मोनिका शर्मा, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2020 मूलतः एवं चिकित्सीय पेपर्स की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

2. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
रजिस्ट्रार, कम-पी.पी.एस.

::-::